समाहरणालय, जहानाबाद

(जिला शस्त्र शाखा)

पत्रांक ....294..../श0, जहानाबाद, दिनांक....27-12-2013

प्रेषक,

जिला दण्डाधिकारी,
जहानाबाद।

सेवा में,

अनुमण्डल पदाधिकारी, जहानाबाद,
अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, जहानाबाद,
सभी थानाध्यक्ष, जहानाबाद जिला।

विषयः– National Database of Arms Licences के कियान्वयन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश के आलोक में सभी प्रकार की शस्त्र अनुज्ञप्तियों का database NIC द्वारा विकसित प्रपत्र में तैयार किया जाना है और सभी अनुज्ञप्तिधारियों को दिनांक–01.10.2015 के पूर्व एक विशिष्ट संख्या (Unique Number) आवंटित किया जाना है। उक्त तिथि के बाद बिना विशिष्ट संख्या के कोई भी अनुज्ञप्ति वैध नहीं होगी। अनुज्ञप्तिधारियों के database को तैयार करने हेतु चार तरह के विहित प्रपत्र तैयार किये गये हैं जो निम्नवत हैं–

Form-1 जहानाबाद जिला से शस्त्र अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारियों के लिए।

Form-2 जहानाबाद जिला से बाहर के अनुज्ञप्तिधारी जो जहानाबाद ओ0डी0 पंजी में पंजीकृत हैं।

Form-3 Sporting Weapon के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारियों के लिए।

Form-4 संस्थान के नाम से अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारियों के लिए।

अंकनीय है कि अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा सभी सूचनाएँ विहित प्रपत्र में पूर्ण एवं शुद्ध रूप से दि0–31.01.2014 तक निश्चित रूप से भरकर जिला शस्त्र शाखा, जहानाबाद में जमा कर देना है एवं पावती रसीद प्राप्त कर लेनी है। विहित प्रपत्र में वांछित सूचनाएँ फैक्स/ई–मेल/डाक से स्वीकार्य नहीं होंगी बल्कि अनुज्ञप्तिधारी अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि से व्यक्तिगत रूप में ही प्राप्त की जाएंगी। विहित प्रपत्र के साथ शस्त्र अनुज्ञप्ति की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति एवं अनुज्ञप्तिधारी का एक अद्यतन फोटो भी संलग्न किया जाना है। निर्धारित तिथि तक प्रपत्र नहीं भरने वाले अनुज्ञप्तिधारियों का database तैयार नहीं हो सकेगा और उनकी अनुज्ञप्ति दि0–01.10.2015 से अवैध हो जाएगी जिसके लिए वे पूर्णतया जिम्मेवार होंगें।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में विहित प्रपत्र की छाया प्रति पत्र के साथ संलग्न करते हुए अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को उक्त विषयवस्तु से अवगत करते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन

जिला दण्डाधिकारी
जहानाबाद।